न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :–367 / 2018–19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

आरती देवी – विक्रेता

जयराम स्वांसी – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
03.08.19	**आदेश**	

आवेदक आरती देवी पति स्व0 संजय प्रधान ग्राम–तोरपा रोड, खूँटी टोली खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने जयराम स्वांसी पिता स्व0 बुधराम स्वांसी ग्राम–तिरला पुटकल टोली, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूत्रिम के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
खूँटी टोली	80	20	76	0.03

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय / जाति प्रमाणपत्र / खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0317402730 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 1073 दिनांक 26.12.18 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम झमन प्रधान वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार कोका प्रधान वगैरह के नाम भूमि का रकवा 25. 49 एकड़ है। आवेदक के पास कुल 3.18½ एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018–19 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 65885.00(पैसठ हजार आठ सौ पच्चासी)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 3.15½एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं। उक्त वाद में विनोद प्रधान एवं सनु देवी द्वारा आपत्ति की गयी है। आपत्ति के बिन्दु पर सुनवाई की गयी।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आपत्ति पर बहस को सुना अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि विक्रेता एवं आपत्तिकर्ता के बीच सुलाहनामा कर लिया गया है। सुलाहनामा की प्रति अभिलेख में सलंग्न है। प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में आरती देवी पति स्व0 संजय प्रधान को जयराम स्वांसी पिता स्व0 बुधराम स्वांसी के साथ ग्राम खूँटी टोली के खाता सं0 20 खेसरा संख्या 76 का रकबा 0.03 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 65885.00(पैसठ हजार आठ सौ पच्चासी)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।